

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्र सं०-प्र०३/एम० ६२/२०१३  
प्रेषक,

1860 (E)

पटना, दिनांक 13/3/18

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

स्मार/  
स्पीड  
पोस्ट/

प्रबंध निदेशक,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ई-मेल

सभी मुख्य अभियंता,  
(रा०उ०प० उपभाग सहित)।

सभी अधीक्षण अभियंता,  
(रा०उ०प० अंचल सहित)।

सभी कार्यपालक अभियंता,  
(रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।

विषय - पथ निर्माण विभाग, बिहार संवर्ग के कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक) के वर्ष-2004 से 2017 तक के लिए ए०एम०आई०ई० अथवा समकक्ष अहर्ता प्राप्त कनीय अभियंता को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु संशोधित औपबंधिक योग्यता-सह-पात्रता सूची के प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग - विभागीय पत्रांक 1189 (E) दिनांक 20.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समेकित रूप से पथ निर्माण विभाग, बिहार संवर्ग के कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक) के वर्ष 2004 से 2017 तक के लिए ए०एम०आई०ई० अथवा समकक्ष अहर्ता प्राप्त कनीय अभियंता को सहायक अभियंता के पद प्रोन्नति हेतु संशोधित औपबंधिक योग्यता-सह-पात्रता सूची का प्रकाशन करते हुए प्रचारित करने का अनुरोध किया गया था, जो विभागीय वेबसाईट [www.rcd.bih.nic.in](http://www.rcd.bih.nic.in) पर भी उपलब्ध है। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति 15 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित विभाग को समर्पित करने हेतु भी अनुरोध किया गया था।


2. इस संबंध में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विषयांकित संशोधित औपबंधिक योग्यता-सह-पात्रता सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति 07 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित विभाग को समर्पित करने हेतु स्मारित किया जा रहा है, अन्यथा भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

कृपया उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन



अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

  
12.03.18